2024 का हरियाणा विधेयक संख्या......

हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024

उच्चतर अध्ययनों, नौकरियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी

परीक्षाओं हेतु कोचिंग उपलब्ध करवाने वाले निजी कोचिंग

संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करने

हेतु तथा इससे सम्बन्धित और उसके

आनुषंगिक मामलों

के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ। |  | 1.(1) यह अधिनियम, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।  (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।  (3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। |
| परिभाषाएं। |  | 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-  (i) ’’अपीलीय प्राधिकरण’’ से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित प्राधिकरण;  (ii) ’’प्राधिकरण’’ से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकरण;  (iii) ’’शैक्षणिक संस्थानों’’ में शामिल हैं प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान, स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय;  (iv) ’’निजी कोचिंग संस्थान’’ से अभिप्राय है, किसी एकल परिसर में कोई निजी कोचिंग संस्थान, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कार्यक्रम की व्यवस्था करवाने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था, सोसाइटी या न्यास या कंपनी द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित टयूशन सेंटर भी शामिल हैं, किन्तु इसमें प्रतिदिन पचास छात्रों तक व्यक्तिक गृह टयूशन और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य विनियामक निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं;  (v) ’’राज्य सरकार’’ से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;  (vi) ’’छात्र’’ से अभिप्राय है, निजी कोचिंग संस्थान में नामांकित कोई छात्र;  (vii) ’’टयूशन फीस’’ से अभिप्राय है, टयूशन फीस और इसमें किसी निजी कोचिंग संस्थान द्वारा किसी छात्र से प्रभारित की गई सभी प्रकार की फीसें भी शामिल हैं;  (viii) ’’विश्वविद्यालय’’ से अभिप्राय है, किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय। |
| प्राधिकरण। |  | 3. प्रत्येक जिला स्तर पर निजी कोचिंग संस्थान को पंजीकृत और विनियमित करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक प्राधिकरण होगा, अर्थात्ः-  (क) उपायुक्त - अध्यक्ष;  (ख) पुलिस अधीक्षक -सदस्य;  (ग) जिला नगर आयुक्त -सदस्य;  (घ) जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी -सदस्य;  (ङ) जिला शिक्षा अधिकारी -सदस्य;  (च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला लेखा  अधिकारी-सदस्य;  (छ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिले के एक राजकीय महाविद्यालय का प्रधानाचार्य- सदस्य; तथा  (ज) जिले में निजी कोचिंग संस्थानों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा चुने जाने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के दो  प्रतिनिधि- सदस्य। |
| प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य। |  | 4. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित  कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्ः-  (i) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उपबन्धों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करना;  (ii) जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करना;  (iii) किसी निजी कोचिंग संस्थान द्वारा किसी विशेष परीक्षा में चयनित छात्रों की संख्या सहित भ्रामक विज्ञापनों और  मिथ्या दावों के अनाचार पर अंकुश लगाना;  (iv) या तो स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर, किसी निजी कोचिंग संस्थान के किसी भी सुसंगत रिकार्ड का निरीक्षण करना। |
| पंजीकरण। |  | 5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्वयं को पंजीकृत करवाएगा।  (2) किसी निजी कोचिंग संस्थान को स्थापित करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या सोसाइटी या न्यास या कंपनी को ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ सम्बद्ध जिला प्राधिकरण के सम्मुख आवेदन करना होगा।  (3) हरियाणा राज्य के भीतर अपनी शाखा रखने वाले निजी कोचिंग संस्थान को ऐसी शाखा के लिए अलग से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।  (4) किसी निजी कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात्ः-  (क) टयूशन फीस, फीस का प्रतिदाय, आसान बहिर्गमन और व्याख्यानों की संख्या, शैक्षणिक, समूह चर्चा, परीक्षा समय-सारणी इत्यादि सहित सभी प्रकार की फीसों के ब्योरों सहित पाठ्यक्रमों के पूरा होने की अवधि, विभिन्न पाठ्यक्रम या उनके भाग वर्णित करते हुए विवरण-पुस्तिका की प्रति;  (ख) प्रत्येक बैच के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या;  (ग) अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यताएं और जीवनवृत्त;  (घ) सलाहकार का जीवनवृत्त और अनुभव;  (ङ) छात्रों की संख्या के अनुपात के साथ कोचिंग क्षेत्र का ब्योरा;  (च) निम्नलिखित सुविधाओं के ब्योरे, अर्थात्:-  (i) फर्नीचर, बैंच/मेज इत्यादि;  (ii) प्रकाश की व्यवस्था;  (iii) पीने योग्य स्वच्छ जल;  (iv) पुरूष और महिला के लिए पृथक् शौचालय;  (v) अग्नि सुरक्षा उपाय;  (vi) प्राथमिक चिकित्सा;  (vii) पार्किंग स्थल;  (viii) पठन कक्ष या पुस्तकालय; तथा  (छ) कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाए।  (5) प्राधिकरण या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा और उपधारा (4) के अधीन शर्तों के अध्यधीन, पन्द्रह दिन की और अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।  (6) यदि आवेदक उपधारा (4) के अधीन किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश में उसके कारण कथित करते हुए आवेदन को रद्द कर सकता हैः  परन्तु प्राधिकरण, आवेदक को शर्तों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकता है।  (7) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर ऐसी रीति में ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जा सकता है। |
| शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। |  | 6. प्राधिकरण, जिला स्तर पर ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, गठन करेगा। |
| सलाहकार। |  | 7. प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करने के लिए कम से कम एक पूर्ण-कालिक सलाहकार नियोजित करेगा। |
| अपीलीय प्राधिकरण। |  | 8. (1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनाने वाला एक अपीलीय प्राधिकरण होगा, अर्थात्ः.  (i) निदेशक⁄ महानिदेशक, जैसी भी स्थिति हो,उच्चतर शिक्षा विभाग - अध्यक्षय;  (ii) मुख्य लेखा अधिकारी, उच्चतर शिक्षा विभाग- सदस्य  (iii) जिला न्यायवादी, उच्चतर शिक्षा विभाग - सदस्य तथा  (iv) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, उच्चतर शिक्षा विभाग – सदस्य-सचिव।  (2) धारा 5 की उप–धारा (6) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश को पारित करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकेगाः  परन्तु अपीलीय प्राधिकरण उपरोक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि इसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।  (3) अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील दायर करने के पैंतालीस दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा।  (4) अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। |
| भ्रामक विज्ञापन का प्रतिषेध। |  | 9. कोई भी निजी कोचिंग संस्थान, कोचिंग से सम्बन्धित कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा मिथ्या सूचना नहीं देगा। |
| शास्ति। |  | 10. इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए दिशा-निर्देशों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना के मामले में, निजी कोचिंग संस्थान, प्रथम उल्लंघना के लिए प्रत्येक ऐसी उल्लंघना हेतु पच्चीस हजार रूपए, पश्चातवर्ती उल्लंघना के लिए एक लाख रूपए के जुर्माने से दायी होगा और यदि उल्लंघना फिर भी जारी रहती है, तो निजी कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। |
| अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। |  | 11. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में। |
| निर्देश देने की शक्ति। |  | 12. राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित में ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश, जो आवश्यक हों, दे सकती है। |
| अधिकारिता का वर्जन। |  | 13. किसी भी सिविल न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अथवा के अधीन सशक्त है। |
| सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। |  | 14. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में राज्य सरकार या इस निमित्त कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। |
| दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति। |  | 15. राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। |
| नियम बनाने की शक्ति। |  | 16. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।  (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा। |
| कठिनाई दूर करने की शक्ति। |  | 17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो  परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।  (2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।  उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण |

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, हरियाणा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदम उठा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा में प्रमुख मुद्दों जैसे पहुंच, समानता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उत्कृष्टता पर ध्यान दिया है।

यह देखा गया है कि पिछले एक दशक में शिक्षा, उच्च शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की स्थापना हुई है।

यह महसूस किया गया है कि हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके, निजी कोचिंग संस्थानों में पंजीकृत छात्रों के बीच तनाव को कम किया जा सके और बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान की जा सके और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश में सहायता प्रदान करना की जा सके।

अतः बिल प्रस्तुत है।

मूल चंद शर्मा

उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा

**प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन**

हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 की धारा 15 एवं 16 (1) में उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करने एवं नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करती है।

सौंपी गई शक्तियां सामान्य है और असाधारण प्रकृति की नहीं है। इसलिए हरियाणा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 में अपेक्षित प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन संलग्न है।

मूल चंद शर्मा

उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा